

106/1



## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक: 39 /NULM/2018-19/EST&P/20-21  
सेवा में,

दिनांक: 14/05/ 2020

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
सम्बन्धित जनपद।

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के उपघटक ई०एस०टी० एण्ड पी० में धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) के उपघटक ई०एस०टी० एण्ड पी० (प्रशिक्षण) मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में एन०एस०डी०सी० पार्टनर संस्थाओं द्वारा दिये गये प्रशिक्षण में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों हेतु द्वितीय किशत की धनराशि निम्न विवरणानुसार आपके जनपद का पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर पंजीकृत बचत खाते में धनराशि अन्तरित की जा रही है:-

(धनराशि रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	प्रेषित धनराशि	बैंक का नाम	खाता संख्या
1	आगरा	591997.00	पंजाब नेशनल बैंक	0983000100251740
2	आजमगढ	1925645.00	इलाहाबाद बैंक	50273499436
3	बांदा	228362.00	बैंक आफ इण्डिया	697910110008033
4	देवरिया	1122363.00	एक्सिस बैंक	915010000325653
5	गोरखपुर	2116521.00	पंजाब नेशनल बैंक	4755000100035857
6	कानपुर नगर	1273050.00	पंजाब नेशनल बैंक	4946000100012616
7	लखनऊ	2015895.00	एक्सिस बैंक	914010054222673
8	मुरादाबाद	861575.00	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	518402010074699
9	सीतापुर	945235.00	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	305302010868736
	योग	11080643.00		

1-वित्तीय वर्ष 2017-18 में ई०एस०टी० एण्ड पी० के अन्तर्गत जारी लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशिक्षण के उपरान्त उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों हेतु शहरों द्वारा बैचवार उपलब्ध कराई गई मांग के आधार पर द्वितीय किशत की धनराशि है।

2-उक्त धनराशि का प्रयोग केवल उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है एवं धनराशि का उपयोग किये जाने के पूर्व जिलाधिकारी/अध्यक्ष भी अपने स्तर से वांछित परीक्षण सुनिश्चित करा लें।

3-धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*(Handwritten signatures)*




106/2


## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

4-डे-एनयूएलएम योजना के उपघटकों हेतु जारी दिशा-निर्देश एवं कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।


  
13.05.2020  
(वित्त नियन्त्रक)  
सूडा

  
(निदेशक)  
सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-

- 1- परियोजना निदेशक/परि० अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- परियोजना अधिकारी, डे-एनयूएलएम-सूडा।
- 3- वेबमास्टर, सूडा/कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
13.05.2020  
(वित्त नियन्त्रक)  
सूडा